न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 01 / 95 / 2022 | दायर दिनांकः– 18 / 04 / 2022

जीसीएमएस नं0ः–2022 / 178 | निर्णय दिनांकः– 06 / 06 / 2024

वउनवान

1. जयसिंह पुत्र श्री मंतगू जाति माली निवासी सुण्डियाना तहसील कठूमर जिला अलवर।

——————वादीगण

बनाम

1. गायत्री देवी पत्नी हरवीर जाति माली निवासी सुण्डियाना
2. निरमा पत्नी घनश्याम जाति माली निवासी सुण्डियाना
3. विजयसिंह पुत्र मंगतू जाति माली निवासी सुण्डियाना तहसील कठूमर जिला अलवर।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर जरिये लैण्ड होल्डर

————— प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हूक्मदवामी अन्तर्गत धारा–53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–

उपस्थितिः–1. श्री भागचन्द जैन–अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मानसिंह चौधरी– अधिवक्ता प्रतिवादी सं0–1 व 2

–ःनिर्णयः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:25:19 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद [illegible] व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार [illegible] आराजी [illegible]रा नम्बर 944 रकबा 0.13 हैक्ट0, वाके ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूमर में स्थित है, जो [illegible]वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी में वादी

का 1/4 हिस्सा व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। लगान सरकारी शामलात में अदा कर रहे हैं। अब पक्षकारान के मध्य शामलात काश्त करने में आपस में झगडा होते रहते है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में शामलात में काश्त करने में रूचि नहीं लेते है इस बजह से वादी विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है। वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। अतः वादी ने विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी तकासमा कराने व मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम सुण्डियाना की सत्यप्रतिलिपी पेश की है जो शामिल पत्रावली है। दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 मय अधिवक्ता हाजिर होकर अपना जबाव पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सहमति के आधार पर वाद वादी दिनांक 06.05.2022 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर को विवादित आराजी का पक्षकारान की मौजूदगी में कानूनी तकासमा कर विधिनुसार (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर अदालत हाजा में पेश करने के आदेश दिये गये।

तहसीलदार कठूमर ने आदेश की पालना मे विवादित आराजी बाबत कुर्रेजात रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर हाजिर अदालत होकर दिनांक 26.04.2024 को पेश किया है जो शामिल पत्रावली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pinder
Date: 2024.06.19 10:25:19 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत तहसीलदार कठूमर की कुर्रेजात रिपोर्ट तथा राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया व बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत तहसीलदार कठूमर की कुर्रेजात रिपोर्ट तथा राजस्व रेकार्ड का

06.6.24

अवलोकन व बहस वकुलाय तहसीलदार कठूमर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर वादी एवं वकील प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक रूप से दावा मुताबिक तहसीलदार कठूमर की कुर्रेजात रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) पर सहमती प्रदान की गई, जिससे कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर पर उभयपक्षकारान की सहमति प्रतीत होती है। अतः दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड वादी एंव प्रतिवादीगण की मौखिक सहमति एवं कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है, जिससे साबित है कि विवादित आराजी का कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। हाल जमाबन्दी में विवादित आराजी पक्षकारान की शामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी का शामलात खातेदारी की अवट होने का अनुमान किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने मौखिक रूप से विवादित आराजी का कानूनी तकासमा किये जाने की सहमति दी है। अतः दावा वादीगण मुताबिक मौखिक सहमति के आधार पर दावा अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

अतः वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेशित किया जाता है कि वो आराजी वादी जयसिंह पुत्र मंगतू जाति माली सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 944/1 तर्फ पूर्व रकबा 0.0325 हेक्ट0, एवं प्रतिवादी विजयसिंह पुत्र मंगतू जाति माली सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 944/2 तर्फ मध्य पूर्व रकबा 0.0325 हैक्ट0, गायत्री देवी पत्नी हरवीर जाति माली सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 944/3 तर्फ मध्य पश्चिम 0.0325 हैक्ट0 निरमादेवी पत्नी घनश्याम जाति माली सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 944/4 तर्फ पश्चिम 0.0325

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:25:19 IST
Reason: SelfAttested

06.6.24

हैक्ट0 वाके ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूमर को तकसीम मे दिये जाते है। रहन का इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कठूमर को आदेशित किया जाता है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण के नाम अलग अलग खाता कायम करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06.6.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:25:19 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 01 / 95 / 2022 दायर दिनांकः– 18 / 04 / 2022

जीसीएमएस नं0:–2022 / 178 निर्णय दिनांकः– 06 / 06 / 2024

वउनवान

1. जयसिंह पुत्र श्री मंतगू जाति माली निवासी सुण्डियाना तहसील कठूमर जिला अलवर।

----डिक्रीदार

बनाम

1. गायत्री देवी पत्नी हरवीर जाति माली निवासी सुण्डियाना
2. निरमा पत्नी घनश्याम जाति माली निवासी सुण्डियाना
3. विजयसिंह पुत्र मंगतू जाति माली निवासी सुण्डियाना तहसील कठूमर जिला अलवर।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर जरिये लैण्ड होल्डर

---- मदयूनान्

दावा तकसीम व हूक्मदवामी अन्तर्गत धारा–53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–

अतः वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेशित किया जाता है कि वो आराजी वादी जयसिंह पुत्र मंगतू जाति माली सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 944 / 1 तर्फ पूर्व रकबा 0.0325 हेक्ट0, एवं प्रतिवादी विजयसिंह पुत्र मंगतू जाति माली सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 944 / 2 तर्फ मध्य पूर्व रकबा 0.0325 हैक्ट0, गायत्री देवी पत्नी हरवीर जाति माली सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 944 / 3 तर्फ मध्य पश्चिम 0.0325 हैक्ट0, निरमादेवी पत्नी घनश्याम जाति माली सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 944 / 4 तर्फ पश्चिम 0.0325 हैक्ट0 वाके ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूमर को तकसीम मे दिये जाते है। रहन का इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कठूमर को आदेशित किया जाता है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण के नाम अलग अलग खाता कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:25:19 IST
Reason: SelfAttested

06.6.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)